

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर मध्यप्रदेश

-:विधि संशोधन आदेश:-

क्रमांक 166/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./सां.अनु./19

ग्वालियर, दिनांक... 08-11-20

कार्यालयीन विधि आदेश क-124/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 08.09.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विधि आदेश क. 124 के पृष्ठ क. 04 पर अंकित सारणी के सरल क. 3 व 3(अ) के कॉलम क. 2 में **श्री आदित्य रावत** का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **श्री साविर अहमद खान** का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. विधि आदेश क. 124 के पृष्ठ क. 04 पर अंकित सारणी के सरल क. 3 के कॉलम क. 5 के सरल क. 1 विलोपित किया जाकर नवीन सरल क. 1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1- म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 5.5.09/2.5.13 के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) तथा विशेष पुलिस स्थापना (लोकयुक्त) ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत होने वाले एवं सम्पूर्ण राजस्व जिला ग्वालियर में स्थित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रकरण व कार्यवाहियां तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत, धारा 438, 439 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र।

3. विधि आदेश क. 124 के पृष्ठ क. 37 के नोट- 1-ब में अंकित सारणी में सोमवार से शनिवार तक की विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन सारणी प्रतिस्थापित की जाती है:-

सोमवार : श्री प्रमोद कुमार विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर
मंगलवार : श्री अशरफ अली, दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
बुधवार : श्री अनुज कुमार मित्तल, द्वादशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
गुरुवार : श्री अजय सिंह, चौबीसवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
शुक्रवार : श्री राजेश कुमार रावतकर, पंद्रहवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
शनिवार : श्री ए.पी.एस. चौहान, नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

4. विधि आदेश क. 124 के पृष्ठ क. 41 पर अंकित सरल क. 22 की प्रथम पंक्ति में अंकित विशेष न्यायालय **एन.आई.एक्ट** शब्द के पश्चात् (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय हेतु) शब्द जोड़ा जाता है।

5. विधि आदेश क. 124 के पृष्ठ क. 41 पर अंकित सरल क. 22 के पश्चात् 22 'अ' के रूप में निम्नलिखित इबारत न सारणी जोड़ी जाती है:-

22-अ मुख्यालय ग्वालियर में विशेष न्यायालय **एन.आई.एक्ट** (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय हेतु) के पीठासीन अधिकारी के पदनाम से पूर्व में निराकृत सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण उक्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाकर निम्नलिखित सारणी अनुसार उल्लेखित प्रभारी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे:-

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रभारी न्यायालय
1	सुश्री फाल्गुनी शर्मा, विशेष न्यायाधीश एन.आई. एक्ट/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	श्री अमन सुलिया, द्वादशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर
2	श्री कृपाल वर्मा, विशेष न्यायाधीश एन.आई. एक्ट, /सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	श्री अतुल यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर
3	श्री मानवेन्द्र सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.आई. एक्ट, /अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	सुश्री हर्षिता सोनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर

उक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

6575

6575

पृष्ठांकन क्रमांक / एक-11-1 / कार्य विमानस्ती / सां.अनु. / 19 ग्वालियर, दिनांक 08-11-2014
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर
3. प्रधान न्यायाधीश, कुदुम्ब न्यायालय, ग्वालियर
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी ग्वालियर/डबरा/भितरवार को ई-मेल में माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग काउंटर/प्रकृताछ केन्द्र, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा/भितरवार
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
8. जे.एस.ए. कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय-ग्वालियर
की ओर उपरोक्तानुसार ई-मेल की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर।
10. ऑफिस मोहरर, जिला न्यायालय ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08/11/2014
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर